

16/79

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
उपस्थित है / अधिकाधिक सहायता प्राप्त है  
अधिक अधिकारी वडीलाल जी के  
(य) पिछले हो जाने से न्यायीय कार्य स्थिति  
रखने का यामति पर य+तुल / डिफा है।  
अतः कार्य स्थिति रखा जाता है।  
पत्रावली वास्ते जाकर उपस्थित गण के  
दिनांक 5/11/19 को पेश की

मी

5/11/19

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में  
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने/कार एसोसिएशन की प्रार्थना से  
पत्रावली वास्ते 3/12/19 को पेश हो।

3/12/19

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में  
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने/कार एसोसिएशन की प्रार्थना से  
पत्रावली वास्ते 1/11/20 को पेश हो।

14/20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में  
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने/कार एसोसिएशन की प्रार्थना से  
पत्रावली वास्ते 4/2/20 को पेश हो।

4.2.2020 पत्रावली पेश हुई उपस्थित। श्री कोर से कोई जवाब  
पेश नहीं किया. प्रकरण के प्रियकी का जवाब पत्रावली  
जाकर एक तरफा कार्यवाही का निर्णय किया गया वास्ते  
वहस दिनांक 6.2.2020 को पेश हो।

तारीख  
हुक्म

प्रकरण संख्या 10/2019 (2019/00143)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

आसुराम पिता कालु सुब्बार v/s राजस्थान जारिम नदमीलदार रामपुर

6 <sup>2</sup>/<sub>2020</sub>

पनावली पेश हुई आधिकारता वादी व प्रतिवादी की ओर से नायब नदमीलदार रामपुर उपरिष्ठ, प्रकरण में वादी का मुख्य कथन यह कि गाँव बागोलीया के बंजर, एलम आबादी के साबिक आ. नं 505/3 रकबा एक बीघा आदि वादी को दिनांक 10.5.1986 में आवंटित हुई जब से वादी उस पर कब्जा हो जा रहा करता चला आ रहा है।

संवत् 2037 से 2040 व संवत् 2049 से 2051 तथा नो.क्र 434 दि. 2.5.1986 की गजल पेश की साबिक आ. नं 505/3 रकबा एक बीघा के गनीब रक. नं 1306 रकबा 0.21 है आदि दर्ज हुई जिसके खिलाफ ई. की प्रति भी पेश की. गनीब अ. पल्लव के दौरान रक. नं 1306 रकबा 0.21 है आदि का गजल बनाया गया उसमें रकबा कम कर दिया जाकर जमाबंदी के साबिक रकबा एक बीघा के अनुरूप 0.21 है दर्ज किया गया जबकि गजल में कम कर कुछ मात्रा आ. नं  $\frac{2160}{1313}$  रकबा 0.15 है. आदि खिलाफ दर्ज कर दी जिससे प्रतिवादी को दि. बंद कराने की प्रार्थना है जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध स्वामी विवेकाया भी डिक्री जारी करवाई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जारी सम्मत तलाब किया किन्तु प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने से उनके विरुद्ध एक तरफा जमाबंदी करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में वादी आधिकारता का मुख्य कथन है कि जमाबंदी में जितना रकबा वादी के नाम दर्ज रखा है उतना ही मजरा नो. के पर वादी के कब्जे है किन्तु गजल इस के आ. नं 1306 का रकबा दर्शाया गया है इसलिये गजल इस के रकबा जमाबंदी के अनुपात में दर्ज करने इस हेतु प्रार्थना करवाई जाये।

तारीख  
हुक्म

प्रकरण संख्या) 10/2019 (2019/00143)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

आसुराम पिता कालु सुब्बार v/s राजस्थान जरीय नदमीलदार रामपुर

6 <sup>2</sup>/<sub>2020</sub>

पनावली पेश हुई अधिकता वादी व प्रतिवादी की ओर से नाथल नदमीलदार रामपुर उपरिष्ठ, प्रकरण में वादी का मुख्य कथन यह कि गाँव बागोलीया के बंरठ, एलम डावादी के साबिक आ.नं 505/3 रकबा एक बीघा प्रति वादी को दिनांक 10.5.1986 में आवंटित हुई वह से वादी उस पर काबिज हो काबू करता चला आ रहा है।

संवत् 2037 से 2040 व संवत् 2049 से 2051 तक नॉ.को 434 दि 2.5.1986 की तहत पेश की साबिक आ.नं 505/3 रकबा एक बीघा के तबीर ख.नं 1306 रकबा 0.21 है प्रति दर्ज हुई जिसके किताने खे.की प्रति भी पेश की. तबीर अ पल्लव के दौरान ख.नं 1306 रकबा 0.21 है प्रति का नया काया गमा उसमें रकबा कास कर दिया जाता जमाकरी के साबिक रकबा एक बीघा के अनुसंग 0.21 है दर्ज किया गया जवाब नमशा के कास कर कुछ भाग आ.नं  $\frac{2160}{1313}$  रकबा 0.15 है प्रति कितानास दर्ज कर दी जिससे प्रतिवादी कास कर बंद कराने भी चपकती देता है जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध स्वामी विवेकाइय भी डिकी जारी करमाला प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरीय सम्मत तलाब किया किन्तु प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई करने का निर्णय किया गया।

प्रकरण में वादी अधिकता का मुख्य कथन है कि जमाकरी में कितना रकबा वादी के नाम दर्ज रखा है उतना भी कब्जा नोके पर वादी के कब्जे है किन्तु नमशा ड्रेस के आ.नं 1306 का रकबा दर्शाया वो कास है इसलिए नमशा ड्रेस के रकबा जमाकरी के नवाबत दर्ज करने हुए ड्रेस के दुरती कराई जाय।

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
प्र०स० 10/2019 (2019/00143)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

की प्रति का वादी के रकबे को दर्शाया जाके साथ ही  
जितना रकबा ख. नं. 1306 का गन्ना क्षेत्र में दर्शा रखा है  
उतना रकबा इस गन्ना क्षेत्र का क्षेत्र शेष रकबा कलकत्ता  
का मिलता है उतना रकबा मिलता है सशोधित क्षेत्र (गन्ना)  
का गन्ना क्षेत्र इसी अनुसार डिक्री जारी हो पाकगर्ब  
नन्दलाल रायपुर को लिख जावे।

पत्रावली फेसल शुमार होकर गन्ना क्षेत्र के काम हो,  
मिलान आज दिनांक 4.2.2020 को लिख जाकर  
रुक्ते न्यायालय में शुमार जमा।

Chenais

(सुन्दरलाल चक्रवर्ती)  
R.A.S  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी,  
रायपुर (मिलवाडा))

